



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता											
वैधनाथ महतो,दुर्योधन महतो,रामेश्वर महतो,राजा महतो, पिता-जगरन्नाथ महतो एक अंश											
जिला का नाम	पूर्वी सिंहभूम	अंचल का नाम	मानगो	हलका का नाम	हल्का-2	मौजा का नाम	वार्ड नं.-9 अ.क्षे.मानगो	खाता का प्रकार	रैयती		
खेवट नम्बर	खाता नम्बर 362			थाना का नाम	घाटशिला	थाना नम्बर	16412				

खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
				कियारी संख्या (5)				रौ (10)	आ (11)	पै (12)	
(1)	(2)	(3)				(8)	(9)				(13)
362	358	? अज्ञात ? अज्ञात	तालाब 0	0 हेक्टर	17 आर	दखल संयुक्त	1 - काबिल लगान	0	0	0	1 - कायमी
	359	? अज्ञात ? अज्ञात	तालाब 0	0 हेक्टर	6 आर	दखल संयुक्त	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	477	? निज ? निज	दौन-01 4	0 हेक्टर	23 आर	दखल वैधनाथ महतो, दुर्योधन महतो, रामेश्वर महतो, राजाराम महतो अंशस समान	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	479	? वैकुंठ महतो ? महावीर महतो	दौन-01 4	0 हेक्टर	40 आर	दखल वैधनाथ महतो ईत्यादि वसरा संख्या 477	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	513	? लक्ष्मी ? निज	दौन-02 3	0 हेक्टर	7 आर	दखल रामेशवर महतो	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	514	? निज ? वादिना बन्धु	दौन-02 2	0 हेक्टर	5 आर	दखल राजाराम महतो	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	515	? निज ? बिहार सरकार	दौन-02 1	0 हेक्टर	1 आर	दखल दुर्योधन महतो	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	516	? निज ? बिहार सरकार	दौन-02 2	0 हेक्टर	5 आर	दखल वैधनाथ महतो	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	517	? निज ? निज	दौन-02 7	0 हेक्टर	4 आर	दखल दुर्योधन महतो	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	499	? महावीर ? निज	गोड़ा-01 1	0 हेक्टर	11 आर	दखल संयुक्त	1 - काबिल लगान				1 - कायमी
	523	? वादिना बन्धु ?	दौन-01 5	0 हेक्टर	13	दखल संयुक्त	1 - काबिल				1 - कायमी

	राम माझी		हेक्टर	आर		लगान			
<script language="javascript">window.print();</script>	खता मे कुल प्लोट संख्या	12	0 हेक्टर	41 आर	दखल संयुक्त	1 - काबिल लगान			1 - कायमी
	खाता मे कुल प्लोट संख्या	12	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)	1	77	खाता का कुल लगान	0 0 0		

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

9/5/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।